"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 जुलाई 2014—आषाढ़ 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-65/2014/वाक/पांच (67). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (चचच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त खंड के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के लिखे अनुसूची के कॉलम (3) में निहित बाजार मूल्य अधिसूचित करते हैं :-

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	बाजार मूल्य (3)
1.	आयरन ओर लम्पस और फाईन्स	समवर्ती वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित भारत के लिए, ग्रेडवार औसत विक्रय मूल्य.
2.	कोयला एवं सभी प्रकार का कोक, चार कोल को छोड़कर.	संबद्ध अवधि के लिए, कोल इंडिया लि. द्वारा अधिसूचित ग्रेडवार विक्रय मूल्य.
3.	बाक्साईट और लेटेराईट	(क) **एल्यूमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग बाक्साईट के लिए :-** संतुलित एल्युमिनियम धातु पर आरोपणीय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित एल्युमिनियम धातु का औसत मासिक मूल्य.

(1)	(2)	(3)
		(ख) **एल्यूमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण से भिन्न उपयोग बाक्साईट के लिए :-** समवर्ती वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित भारत के लिए औसत विक्रय मूल्य.
4.	अनुक्रमांक 1, 2, 3 में विनिर्दिष्ट और लाईम स्टोन से भिन्न खनिज.	ऐसे खनिज के खनन पर उपगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, परिवहन लागत, संदत्त अथवा देय रॉयल्टी, व्यापारी द्वारा अर्जित सामान्य लाभ, और ऐसे खनिज के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने के पूर्व अन्य कोई व्यय, यदि कोई हो, का कुल योग बाजार मूल्य होगा.
5.	ऐसा माल जिसे या तो प्रान्त बाहर से या प्रान्त भीतर से स्टॉक ट्रान्सफर की रीति द्वारा विक्रय के लिए अर्जित अथवा प्राप्त किया गया है.	प्रान्त बाहर अथवा प्रान्त भीतर से स्टॉक ट्रान्सफर की रीति द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराए जाने वाले माल के विक्रेता व्यापारी के हस्ते विक्रय किए जाने पर, माल का विक्रय मूल्य.

2. स्थानीय क्षेत्र ऐसे माल के प्रवेश के पूर्व उपगत परिवहन लागत, रायल्टी एवं अन्य खर्च सहित, अनुक्रमांक 1, 2 और 3 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट माल के बाजार मूल्य पर प्रवेश कर देय होगा.

3. अनुक्रमांक 1, 2 और 3 के कॉलम 2 में वर्णित माल पर भारतीय खान ब्यूरो अथवा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित किए गए ग्रेडवार विक्रय मूल्य में भिन्नता होने पर समवर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम त्रैमास में समायोजित किया जायेगा.

4. यह अधिसूचना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2014

क्रमांक एफ-10-65/2014/वाक/पांच (67). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2014/वाक/पांच (67), दिनांक 01-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 1st July 2014

NOTIFICATION

No. F-10-65/2014/CT/V(67). — In exercise of the powers conferred by clause (fff) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), for the purpose of the said clause, the State Government hereby notifies the market value specified in column (3) of the schedule below, in respect of the class of goods specified in column (2) of the said schedule :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Market Value (3)
1.	Iron Ore lumps and fines	Grade wise average Sale price for India notified by the Indian Bureau of Mines for the month of April of corresponding financial year.
2.	Coal including coke in all its forms but excluding charcoal.	Grade wise Sale price notified by the Coal India Limited for relevant period.
3.	Bauxite & Laterite	(a) Bauxite for use in alumina and aluminium metal extraction :- Average monthly price of Aluminium metal, chargeable on the contained aluminium metal notified by the Indian Bureau of Mines. (b) For Bauxite use other than alumina and aluminium metal extraction :- Average Sale price for India notified by the Indian Bureau of Mines for the month of April of corresponding financial year.
4.	Minerals other than those specified in S. No. 1, 2, 3 and Lime Stone.	Market value shall be sum total of direct and indirect expenses incurred in mining of such minerals, transportation cost, royalty paid or payable, normal profit earned by the dealer and any other expenses, if any, before entry of such minerals in the any local area.
5.	Such Goods which are acquired or obtained by way of stock transfer either from outside the state or from inside the state, for sale.	The sale price of goods in the hands of the selling dealer who has caused entry of goods by way of stock transfer from outside the state or inside the state.

2. The Entry Tax shall be payable on Market Value of Goods Specified in Column No.-3 of S. No. 1, 2 and 3 including Transportation Cost, Royalty and other expenses incurred before entry of such goods in the local area.

3. Price variation in grade wise sale notified by Indian Bureau of Mines or Coal India Limited on specified goods maintained in column 2 of S. No. 1, 2 and 3 shall be adjusted in last quarter of corresponding financial year.

4. This notification shall come into force with effect from 1st July, 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.